

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी/  
आहरण-वितरण अधिकारी,  
सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, बस्ती,  
लखनऊ तथा अयोध्या।

आवंटन

अनुदान सं०-14

तेरह अंको का कोड-2515001010400

संख्या- 1/333/2019-1/06/2019 :

लखनऊ: दिनांक 05 अक्टूबर, 2019


विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-04-मंडल पंचायत प्रशासन अधिष्ठान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मदों में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक विशेष सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-13/2019/793/33-3-2019-100(3)/2017 दिनांक 08.04.2019 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अपर मुख्य सचिव, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 उ०प्र० शासन के पत्र सं०-5/2019/वे०आ०-2-245/दस-2019-04(एम)/2016 दिनांक 03.06.2019 के अन्तर्गत मण्डल पंचायत प्रशासन के मानक मदों में व्यय हेतु संलग्न तालिका में रू०-1,46,10,194/- (रूपया एक करोड़ छियालिस लाख दस हजार एक सौ चौरान्धे मात्र) धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी०एल०ए०/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं० -1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो त उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
7. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समझ किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-4/2018/आर०जी०-1021/दस/2018-मित०- /2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-04-मंडल पंचायत प्रशासन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के तालिका में उल्लेख किया जायेगा।
9. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
10. बी०एम०-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाक्य संख्या तथा दिनांक का उल्लेख धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
11. यदि बी०एम०-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।

12. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
13. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
14. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
15. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे-
1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेन्ट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. वर्ष 2019-20 में समर्पण यदि कोई हो तो उसकी सूचना दिनांक 20.02.2020 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-10 पर अंकित है।  
संलग्नक उपरोक्तानुसार।


भवदीय,  


(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)  
निदेशक,  
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/333/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0सी0-2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठ भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8.  एस0पी0एम0यू0, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।



(ब्रजेश कुमार)  
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,  
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2019-2020  
आवंटन दिनांक-05/10/2019

प्रेषण संख्या:- 1-333-2019-1-06-2019

आवंटन आदेश संख्या:- 006-01-06-2019

अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज

04 - मण्डल पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	51-वर्दी व्यय	52-पुनरीकित वेतन का अवशेष (राजकीय)	55-मकान किराया भत्ता	56-नगर प्रतिकर भत्ता	योग
1	सहारनपुर-2281- जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	53967 668800	14837 88616	0 5902	0 0	0 0	34176 71680	0 6701	102980 841699
2	अलीगढ-2281- जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	165500 1154600	98570 217262	0 9495	0 0	0 112845	47185 107520	19 10800	311274 1612522
3	आगरा-2281- जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	522734 993600	83629 140132	0 4520	0 0	0 62631	0 28722	3508 8640	609871 1238245
4	बरेली-2281- जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2201756 4584171	258120 544009	360 23231	0 0	0 523621	194640 339967	14640 40608	2669516 6055607
5	मुरादाबाद-2281- जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	459767 1151600	158933 241952	0 6641	0 0	0 90000	65319 107520	1100 8640	685119 1606353
6	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	914128 2803170	175747 402432	0 18134	3000 3000	0 215838	152369 267600	11570 32160	1256814 3742334


S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	51-वर्दी व्यय	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	55-मकान किराया भत्ता	56-नगर प्रतिकर भत्ता	योग
7	प्रयागराज-2281- जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1998512 4299148	250115 526191	215254 237340	0 0	0 432746	13096 153434	0 25076	2476977 5673935
8	वाराणसी-2281- जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	178450 1086000	62664 171570	0 8712	0 0	88071 248071	52160 107520	0 9892	381345 1631765
9	मिर्जापुर-2281- जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	573565 1613998	69669 193680	0 5922	0 0	0 101198	0 44856	0 8016	643234 1967670
10	गोरखपुर-2281- जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1013800 2851073	213827 434299	0 17637	0 0	0 383074	155587 267660	0 20026	1383214 3973769
11	बस्ती-2281- जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	475242 1125600	57030 135072	0 6243	0 0	0 112047	0 39671	0 7088	532272 1425721
12	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	2409827 4761458	358830 641025	0 22575	0 0	0 221408	230379 373828	26664 52296	3025700 6072590
13	अयोध्या-2281- जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	430800 993600	81648 149184	0 5402	0 0	0 144346	19430 53760	0 6134	531878 1352426
	योग	वर्तमान प्रगामी	11398048 28086818	1883619 3885424	215614 371754	3000 3000	88071 2647825	964341 1963738	57501 236077	14610194 37194636

महायोग- (वर्तमान  
आवंटन):-

रूपया एक करोड़ छियालीस लाख दस हजार एक सौ चौरानवे

महायोग- (प्रगामी  
आवंटन):-

रूपया तीन करोड़ इकत्तर लाख चौरानवे हजार छः सौ छत्तीस

  
(बजेश कुमार)  
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी